रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2014/माघ 29, 1935
No. 68] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2014/MAGHA 29, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2014

सा.का.नि. 94(अ).–केन्द्रीय सरकार, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, जनरल डियूटी काडर (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, जनरल ड़ियूटी काडर (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, जनरल डियूटी काडर (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची में–

(i) महानिरीक्षक (जनरल डियूटी) के पद से संबधित कम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ (12) में "प्रोन्नति द्वारा" उपशीर्षक के अधीन "भारत–तिब्बत" से आरंभ होने वाले और "कर चुके हों" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

" भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे उपमहानिरीक्षकों(जनरल डियूटी) में से जिन्होंने उपमहानिरीक्षक के रूप में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और समूह "क" में नियमित रूप से कुल चौबीस वर्ष सेवा की हो और जिन्होंने विहित किए जा सकने वाले पूर्व प्रोन्नति पाठ्यकम या पाठ्यकमों को सफलता पूर्वक पूरा किया हो।"

(ii) कमांडेंट (जनरल डियूटी) के पद से संबंधित कम संख्यांक 3 के सामने स्तंभ (12) में "प्रोन्नति द्वारा" उपशीर्षक "प्रोन्नति द्वारा" के नीचे " भारत–तिब्बत से आरंभ होने वाले और " को किया हो" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:–

"भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे सेकण्ड–इन कमान में से जिन्होंने किसी एक काडर में सेकेण्ड–इन कमान के रूप में पांच वर्ष नियमित सेवा या तत्कालीन जनरल डियूटी काडर, दूरसंचार काडर या परिवहन काडर में सेकेण्ड–इन कमान के रूप में सम्मिलित पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित समूह "क" में पंद्रह वर्ष सेवा की हो और जिन्होंने विहित किये जा सकने वाले पूर्व प्रोन्नति पाठ्कम या पाठ्यकमों को सफलता पूर्वक पूरा किया हो।"

(iii) सेकेण्ड–इन कमान (जनरल डियूटी) से संबंधित कम संख्यांक 4 के सामने स्तंभ (12) में, "प्रोन्नति द्वारा" उपशीर्षक के नीचे, " भारत–तिब्बत" से आरंभ होने वाले और "को किया हो" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

"भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के तत्कालीन साधारण डियूटी काडर या दूरसंचार काडर या परिवहन काडर या आयुध काडर या इलेक्ट्रानिक डाटा प्रसंस्करण काडर के ऐसे उपकमाडेंटों में से जिन्होंने उपकमांडेंट के रूप में पांच वर्ष नियमित सेवा सहित समूह 'क' में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने विहित किये जा सकने वाले पूर्व प्रोन्नति पाठ्कम या पाठ्यकमों को सफलता पूर्वक पूरा किया हो।"

(iv) उप–कमांडेंट (जनरल डियूटी) के पद से संबंधित कम संख्यांक 5 के सामने स्तंभ (12) में "प्रोन्नति द्वारा" उपशीर्षक के अधीन " भारत–तिब्बत" शब्दों से आरंभ होने वाले "पूरा किया हो" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

" भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के तत्कालीन जनरल डियूटी काडर या दूरसंचार काडर या परिवहन काडर या आयुध काडर या इलेक्ट्रानिक डाटा प्रसंस्करण काडर के ऐसे सहायक कमांडेंटों में से जिन्होंने सहायक कमांडेंट के रूप में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की सेवा बटालियन में सेवा कंपनी के कंपनी कमांडर के रूप में दो वर्ष का अनुभव सिवाए उन अधिकारियों के जो केंद्रीय कीड़ा दल में है, रखते हों और जिन्होंने विहित किए जा सकने वाले पूर्व प्रोन्नति पाठ्यकम या पाठ्यकमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। "

[फा.सं. I–12011/1/2010–संगठन.(भाग–1)]

हरीश चन्द्र, उप सचिव

टिप्पण :– मूल नियम सा.का.नि. सं0 811 (अ) तारीख 5 अक्तूबर, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए तत्पश्चात सा.का.नि. सं0 540 (अ) तारीख 9 जुलाई, 2012 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2014

G.S.R.94(E).— In exercise of the powers conferred by sub section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2010, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'A' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2010, in the Schedule,-

(i) against serial number 1, relating to the post of Inspector General (General Duty), in column 12, under the sub-heading "By promotion", for the portion beginning with the words "From amongst" and ending with the words "prescribed by the department", the following shall be substituted, namely : —

"From amongst Deputy Inspector General of the Indo-Tibetan Border Police Force having two years' of regular service as Deputy Inspector General and total of twenty four years' of regular Group 'A' service and who have successfully completed pre-promotion course or courses as may be prescribed." ;

(ii) against serial number 3, relating to the post of Commandant (General Duty), in column (12), under the sub-heading "By promotion", for the portion beginning with the words "From amongst" and ending with the words "prescribed by the department, the following shall be substituted namely:-

"From amongst Second-in-Command of the Indo-Tibetan Border Police Force with fifteen years' of Group 'A' service including five years' regular service as Second-in-Command in any one cadre or combined five years' regular service as Second-in-Command in the erstwhile General Duty Cadre

or Telecom Cadre or Transport Cadre of the Indo-Tibetan Border Police Force and who have successfully completed pre-promotion course or courses as may be prescribed." ;

(iii) against serial number 4, relating to the post of Second-in-Command (General Duty), in column 12, under the sub-heading "By promotion", for the portion beginning with the words "Deputy Commandants" and ending with the words "prescribed by the department", the following shall be substituted, namely: —

"From amongst Deputy Commandants of the erstwhile General Duty Cadre or Telecom Cadre or Transport Cadre or Armourer Cadre or Electronic Data Processing Cadre of the Indo-Tibetan Border Police Force with ten years' of regular Group 'A' service including five years' regular service as Deputy Commandant and who have successfully completed pre-promotion course or courses as may be prescribed." ;

(iv) against serial number 5, relating to the post of Deputy Commandant (General Duty), in column 12, under the sub-heading "By promotion", for the portion beginning with the words "Assistant Commandants" and ending with the words "prescribed by the department", the following shall be substituted, namely: —

"From amongst Assistant Commandants of the erstwhile General Duty Cadre or Telecom Cadre or Transport Cadre or Armourer Cadre or Electronic Data Processing Cadre of the Indo-Tibetan Border Police Force with five years' regular service as Assistant Commandant and two years' experience as Company Commander of service company in Service Battalion of the Indo-Tibetan Border Police Force except for those officers who are in central sports team and who have successfully completed pre-promotion course or courses as may be prescribed.".

[F. No. I. 12011/1/2010-Org.(Vol-I)]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

Note.— Principal rules were published vide number G.S.R. 811(E) dated the 5th October, 2010 and subsequently amended vide number G.S.R. 540(E) dated the 9th July, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054